

**न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर**  
**पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.**

पत्रावली संख्या : 187/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 201-202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्कवायर, मानसरोवर इण्डिस्ट्रीयल एरिया, जयपुर- 302020

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

**बनाम**

1. सुभाष चन्द कुमावत पुत्र लाल चन्द कुमावत जाति कुमावत, निवासी वार्ड नम्बर 06, खोपरानिया की ढाणी, दांता, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर 332702
2. गिरधारी लाल कुमावत पुत्र लाल चन्द कुमावत जाति कुमावत, निवासी वार्ड नम्बर 06, खोपरानिया की ढाणी, दांता, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर 332702
3. सुनिता देवी पत्नी गिरधारी लाल कुमावत जाति कुमावत, निवासी वार्ड नम्बर 06, खोपरानिया की ढाणी, दांता, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर 332702
4. लाल चन्द कुमावत पुत्र भूरा राम कुमावत जाति कुमावत, निवासी वार्ड नम्बर 06, खोपरानिया की ढाणी, दांता, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर 332702
5. मुकेश कुमार कुमावत पुत्र रतन लाल कुमावत जाति कुमावत, निवासी वार्ड नम्बर 06, चैजारों का मौहल्ला, दांता, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर 332702

-अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्ता)

**The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.**

**स्वीकृति आदेश**

दिनांक:- 27 अक्टूबर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री विजय सिंह तंवर द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः सुभाष चन्द कुमावत पुत्र लाल चन्द कुमावत, गिरधारी लाल कुमावत पुत्र लाल चन्द कुमावत, सुनिता देवी पत्नी गिरधारी

१  
(मुकुल शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



लाल कुमावत, लाल चन्द कुमावत पुत्र भूरा राम कुमावत एवं मुकेश कुमार कुमावत पुत्र रतन लाल कुमावत की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी लालचन्द कुमावत के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति वाकै ग्राम दांता, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 165.44 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में श्रवणलाल कुमावत का मकान, पश्चिम दिशा में प्रभुदयाल कुमावत का मकान, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में लालचन्द पुत्र भुराराम का मकान स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर 10,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये दस लाख) एवं 5,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये पांच लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 10.05.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 10.05.2025 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

2  
(मुकुल शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **सुभाष चन्द कुमावत पुत्र लाल चन्द कुमावत, गिरधारी लाल कुमावत पुत्र लाल चन्द कुमावत, सुनिता देवी पत्नी गिरधारी लाल कुमावत, लाल चन्द कुमावत पुत्र भूरा राम कुमावत एवं मुकेश कुमार कुमावत पुत्र रतन लाल कुमावत** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **लालचन्द कुमावत** के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **वाकै ग्राम दांता, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 165.44 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में श्रवणलाल कुमावत का मकान, पश्चिम दिशा में प्रभुदयाल कुमावत का मकान, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में लालचन्द पुत्र भुराराम का मकान स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **27 अक्टूबर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



**(मुकुल शर्मा)**  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर